भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1604

दिनांक 28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिंगल सिगरेट की बिक्री

1604. **श्री सय्यद ईमत्याज जलील:**

श्री फ़िरोज़ वरूण गांधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि सिंगल सिगरेट की बिक्री से युवाओं और कम सम्पन्न लोगों में धूम्रपान का प्रचलन अधिक होता है और एकल सिगरेट की सुलभता अधिक होने से ऐसे धूम्रपान करने वालों द्वारा धूम्रपान छोड़ने के प्रयास की संभावना कम हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को और सुदृढ़ करके सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह. बघेल)

(क) और (ख) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) की धारा7 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सिगरेट का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण तब तक नहीं करेगा, जब तक कि सिगरेट के प्रत्येक पैकेज पर उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी न हो। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सीओटीपीए, 2003 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम के प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सीओटीपीए, 2003 की धारा7 के अंतर्गत खुली सिगरेट/खुली तम्बाकू/बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

(ग) और(घ) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 का मसौदा पूर्व-विधायी परामर्श के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया हैं।

****